

प्रेषक,

डॉ० अखिलेश कुमार मिश्रा,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उ०प्र०, प्रयागराज।
2. कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ०प्र०।
3. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ०प्र०।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 28 फरवरी, 2024

विषय : मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रम में 'मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना' की धनराशि में वृद्धि किये जाने तथा आवेदन पत्र हेतु कतिपय अभिलेखों की संख्या कम करने व योजना के आवेदन पत्र क्षेत्रीय कार्मिकों (ऑनगनबाड़ी कार्यकर्त्री) के माध्यम से भरवाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, महिला कल्याण, उ०प्र०, लखनऊ को सम्बोधित एवं प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन व अन्य को पृष्ठांकित महिला कल्याण अनुभाग-3, उ०प्र० शासन के पत्र संख्या-ई-2625719/60-3-2023-सी-911453/20, दिनांक 15.02.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी घोषणा के क्रम में वित्तीय वर्ष 2024-25 से 'मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना' की सभी 06 श्रेणियों में प्राप्त होने वाली कुल धनराशि ₹0 15000/- को बढ़ाकर ₹0 25000/- किये जाने का निर्णय लिया गया है तथा 'मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना' के सुगम संचालन हेतु पूर्व में निर्गत शासनादेश दिनांक 07.03.2019 द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका में योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ वेब पोर्टल पर अपलोड किये जाने वाले अभिलेखों में से कतिपय अभिलेखों को हटाये जाने का निर्णय लिया गया है।

2- उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 15.02.2024 द्वारा 'मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना' के सुगम संचालन हेतु पूर्व में निर्गत शासनादेशों को इस सीमा तक संशोधित समझते हुए उपरोक्तानुसार प्रश्नगत योजना क्रियान्वित किये जाने हेतु यथावश्यक कार्यवाही कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
28/02/24
(डॉ० अखिलेश कुमार मिश्रा)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महिला कल्याण अनुभाग-3, उ०प्र० शासन को उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 15.02.2024 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।

आज्ञा से,

(एस०पी० मिश्रा)
उप सचिव।

संख्या 1328/VIPPSHED/2023

संख्या-ई-2625719/60-3-2023-सी-911453/20

प्रेषक,

बी0 चन्द्रकला,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।प्रमुख सचिव कार्यालय में
प्राप्त दिनांक-16.1.24

महिला कल्याण अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 15 फरवरी, 2024

विषय-मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रम में 'मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना' की धनराशि में वृद्धि किये जाने तथा आवेदन पत्र हेतु कतिपय अभिलेखों की संख्या कम करने व योजना के आवेदन पत्र क्षेत्रीय कार्मिकों (ऑगनबाडी कार्यकर्त्री) के माध्यम से भरवाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

अवगत हैं कि कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करने, समान लैंगिक अनुपात स्थापित करने, बाल विवाह की कुप्रथा को रोकने, बालिकाओं के स्वास्थ्य व शिक्षा को प्रोत्साहन देने, बालिकाओं का स्वावलम्बी बनाने में सहायता प्रदान करने तथा बालिका के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने आदि उद्देश्य से शासनादेश संख्या-436/60-3-2019-6(सा0)/19टीसी, दिनांक 07.03.2019 द्वारा प्रदेश में अप्रैल, 2019 से 'मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना' संचालित किये जाने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश (मार्गदर्शिका सहित) निर्गत किये गये हैं। 2- 'मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना' के लाभार्थियों से संवाद कार्यक्रम में दिनांक 30.08.2023 को मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी घोषणा के क्रम में निदेशक, महिला कल्याण के पत्र संख्या-1000/निदे0म0क0/सुमंगला/एसएसडी/2023-24, दिनांक 13.09.2023 एवं पत्र संख्या-1202/निदे0म0क0/सुमंगला/SND/2023-24, दिनांक 23.11.2023 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2024-25 से 'मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना' की सभी 06 श्रेणियों में प्राप्त होने वाली कुल धनराशि रु0-15000/- को बढ़ाकर रु0-25000/- किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसका श्रेणीवार विवरण निम्नवत् है :-

श्रेणी	श्रेणी का विवरण	वर्तमान समय में देय धनराशि	वित्तीय वर्ष 2024-25 से देय बढ़ी धनराशि
1	जन्म के समय	रु0 2000/-	रु0 5000/-
2	एक वर्ष के समस्त टीकाकरण पूर्ण होने पर	रु0 1000/-	रु0 2000/-
3	कक्षा-1 में प्रवेश पर	रु0 2000/-	रु0 3000/-
4	कक्षा-6 में प्रवेश पर	रु0 2000/-	रु0 3000/-
5	कक्षा-9 में प्रवेश पर	रु0 3000/-	रु0 5000/-
6	10वीं या 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर 2 वर्षीय या अधिक अवधि के डिप्लोमा या स्नातक में प्रवेश पर	रु0 5000/-	रु0 7000/-
	कुल	रु0 15000/-	रु0 25000/-

C-2/Desktop/Kanya G.O.

श्री 20/2/24

21/2/24

नि0सं0 (म)

16/02/24
(आर० पी० चौधरी)निजी सचिव,
प्रमुख सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।No. 4263/154/16/24
DS (PM) 50-3

19/02/24

(डॉ० अखिलेश कुमार मिश्रा)
विशेष सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

उपरोक्त तालिका में वर्णित बड़ी हुई धनराशि वित्तीय वर्ष 2024-25 से जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय स्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति द्वारा स्वीकृत आवेदन पत्रों के सापेक्ष प्रदान की जायेगी।

3- 'मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना' के सुगम संचालन हेतु उपरोक्त शासनादेश दिनांक 07.03.2019 द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका में योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ वेब पोर्टल पर अपलोड किये जाने वाले सामान्य अभिलेखों व योजना की 06 श्रेणियों के आवेदन पत्र के साथ अपलोड किये जाने वाले अभिलेखों में से सम्यक विचारोपरान्त कतिपय अभिलेखों को निम्नानुसार हटाये जाने का निर्णय लिया गया है :-

(क) हटाये गये सामान्य अभिलेख :-

क्र.सं.	हटाये गये अभिलेख (विद्यमान व्यवस्था)	अभिलेख हटाये जाने का आधार (संशोधित व्यवस्था)
01	बालिका का आवेदक के साथ संयुक्त फोटो	योजना की समीक्षा बैठकों में क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि आवेदक के साथ बालिका का संयुक्त फोटो सामान्यतः उपलब्ध नहीं होता है तथा संयुक्त फोटो बनवाकर आवेदन करने में आवेदक को कठिनाई होती है। आवेदक की सुविधा व आवेदन की प्रक्रिया को अधिक सरल बनाने के लिए इस अभिलेख को हटाया जाता है।
02	निर्धारित प्रारूप पर घोषणा पत्र	वर्तमान व्यवस्था में आवेदक को परिवार की आय, बच्चों की संख्या, बालिका की जन्मतिथि आदि से संबंधित 6 बिन्दुओं पर निर्धारित प्रारूप पर हस्ताक्षरित घोषणा पत्र स्कैन करके हार्ड कॉपी पोर्टल पर अपलोड करना होता है। संशोधित व्यवस्था के अन्तर्गत आवेदक द्वारा योजना के पोर्टल पर घोषणा पत्र के 6 बिन्दुओं को सेलेक्ट/टिक करके घोषणा पत्र को डिजिटली सबमिट किया जायेगा। घोषणा पत्र की हार्ड कॉपी अपलोड करने की वर्तमान व्यवस्था को समाप्त किया जाता है।
03	बालिका/माता-पिता/अभिभावक का पहचान पत्र	योजना के वेब पोर्टल पर 10 अक्टूबर, 2023 से आधार प्रमाणीकरण की व्यवस्था लागू है, जिसके अन्तर्गत बालिका/माता-पिता/अभिभावक की आधार संख्या का उपयोग करते हुए UIDAI के माध्यम से पहचान का प्रमाणीकरण सुनिश्चित किया जाता है। अतः पृथक से पहचान पत्र की हार्ड कॉपी अपलोड किया जाना आवश्यक नहीं है।
04	बालिका की कन्या सुमंगला पहचान/पंजीकरण संख्या/रसीद	योजना के वेब पोर्टल के वर्तमान प्रोसेस फ्लो में आवेदक को वेब पोर्टल पर पंजीकरण के उपरांत उसे पंजीकरण संख्या व लॉगिन आईडी0 प्रदान किया जाता है, जिनका

	उपयोग कर वह उसी पंजीकरण के आधार पर योजना की सभी 6. श्रेणियों का ऑनलाइन आवेदन करता है। इस कारण से बालिका की कन्या सुमंगला पहचान/पंजीकरण संख्या/रसीद को पोर्टल पर अपलोड किया जाना आवश्यक नहीं है।
--	---

(ख) योजना की पृथक-पृथक श्रेणियों के आवेदन पत्र के साथ अपलोड किए जाने वाले अभिलेखों में से हटाये गये अभिलेख-

क्र० सं०	श्रेणी	हटाये गये अभिलेख (विद्यमान व्यवस्था)	अभिलेख हटाये जाने का आधार (संशोधित व्यवस्था)
01	श्रेणी-1 (जन्म के समय)	जन्म प्रमाण पत्र/ संस्थागत प्रसव का प्रमाण पत्र	सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (सी0आर0एस0) पोर्टल से ए0पी0आई0 इंटीग्रेशन के उपरांत जन्म प्रमाण पत्र संख्या के आधार पर बालिका के जन्म प्रमाण पत्र का प्रमाणीकरण तथा जन्म की लोकेशन की सूचना सी0आर0एस0 पोर्टल से प्राप्त हो जाती है।
02	श्रेणी-3 (कक्षा 1 में प्रवेश)	कक्षा 1 में प्रवेश संबंधी प्रमाण पत्र	बालिका के कक्षा 1 में प्रवेश के ऑनलाइन प्रमाणीकरण के लिए बेसिक शिक्षा विभाग के पोर्टल से ए0पी0आई0 इंटीग्रेशन किया गया है, जिसके उपरांत बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में अध्ययनरत बालिका की यूनीक संख्या के आधार पर कक्षा 1 में प्रवेश का प्रमाणीकरण ऑनलाइन किया जायेगा तथा इस हेतु अभिलेख अपलोड करना आवश्यक नहीं होगा। बेसिक शिक्षा परिषद से भिन्न विद्यालयों में अध्ययनरत बालिका के आवेदन के साथ पूर्व की भांति संगत अभिलेख अपलोड किया जाता रहेगा।
03	श्रेणी-4 (कक्षा 6 में प्रवेश)	कक्षा 6 में प्रवेश संबंधी प्रमाण पत्र	बालिका के कक्षा 6 में प्रवेश के ऑनलाइन प्रमाणीकरण के लिए बेसिक शिक्षा विभाग के पोर्टल से ए0पी0आई0 इंटीग्रेशन किया गया है, जिसके उपरांत बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में अध्ययनरत बालिका की यूनीक संख्या के आधार पर कक्षा 6 में प्रवेश का प्रमाणीकरण ऑनलाइन किया जायेगा। इस हेतु अभिलेख अपलोड करना आवश्यक नहीं होगा। बेसिक शिक्षा परिषद से भिन्न विद्यालयों में अध्ययनरत बालिका के आवेदन के साथ पूर्व की भांति संगत अभिलेख अपलोड किया जाता रहेगा।

4- 'मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना' की सभी 06 श्रेणियों के अन्तर्गत पात्र सभी लाभार्थियों का सार्वभौमिक आच्छादन सुनिश्चित करने हेतु आँगनबाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा अपने संबंधित ग्राम पंचायत में अपने कार्यक्षेत्र में सर्वेक्षण कर समस्त पात्र लाभार्थियों का आवेदन पत्र योजना के वेब पोर्टल पर ऑनलाइन भरवाया जायेगा। आँगनबाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा भरवाये गये ऐसे प्रत्येक ऑनलाइन आवेदन पत्र, जो कि स्थलीय जांच/सत्यापन में पात्र पाये जाने के उपरान्त जिला स्तरीय स्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे, के लिए आँगनबाड़ी कार्यकर्त्री को ₹0-50/- प्रति आवेदन पत्र के अनुसार प्रोत्साहन धनराशि दी जायेगी। योजना अन्तर्गत मानव संसाधन, अवस्थापन, कार्यालय व्यय, प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार आदि के लिए 03 प्रतिशत धनराशि प्रशासनिक व्यय के लिए निर्धारित है। आँगनबाड़ी कार्यकर्त्री को उक्त प्रोत्साहन धनराशि के लिए किया जाने वाला व्यय योजना के प्रशासनिक व्यय से किया जायेगा। प्रत्येक छमाही में प्रदेश के समस्त आँगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को उनके द्वारा भरे गये व स्वीकृत आवेदन पत्रों के आधार पर देय प्रोत्साहन धनराशि, प्रदेश स्तर पर संकलित रूप से निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार को एकमुश्त प्रदान की जायेगी। निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार द्वारा आँगनबाड़ी कार्यकर्त्री को प्रोत्साहन धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

5- उक्त के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 'मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना' के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेशों को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। कृपया उपर्युक्तानुसार प्रश्नगत योजना क्रियान्वित किये जाने हेतु यथावश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(बी० चन्द्रकला)
सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/बाल विकास, एवं पुष्टाहार/ग्राम्य विकास/नगर विकास/बेसिक शिक्षा/उच्च शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/कृषि शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा/वित्त/कार्मिक एवं न्याय विभाग।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/जिला सूचना विज्ञान अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ०प्र०।
4. समस्त उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, उ०प्र०।
5. समस्त जिला परिवीक्षा अधिकारी, उ०प्र०।
6. वेब मास्टर, महिला कल्याण निदेशालय, लखनऊ।
7. गार्ड फाइल।

(महवीर प्रसाद गौतम)
विशेष सचिव।